उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

द्वितीय अपील संख्या 73/2012

मो0 अली..... अपीलकर्ता

बनाम

दिनेश चंद्र भट्ट..... प्रतिवादी

श्री पीयूष गर्ग, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता
श्री विजय भट्ट, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता

दिनांकः 27.07.2017

माननीय न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह,

यह द्वितीय अपील सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी. हल्द्वानी द्वारा मूल वाद संख्या 90/2008 में पारित निर्णय एव डिक्री दिनांकित 11.08.2011 एवं 18.08.2011, साथ ही अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/तृतीय एफ.टी.सी. नैनीताल द्वारा सिविल अपील संख्या 21/2011 में पारित निर्णय और डिक्री दोनों के विरूद्व संस्थित की गई है। जिससे वादी द्वारा संस्थित वाद वापस कर दिया गया।

2. संक्षेप में, मामले के तथ्य यह हैं कि वादी (यहाँ अपीलार्थी) द्वरा स्थायी प्रतिषेध व्यादेश एवं वसीयत दिनांकित 26.04.2004 को अकृत और सुनने घोषित करने हेतु एक वाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नैनीताल के न्यायालय में संस्थित किया गया था, जिसमें कहा गया है कि वादी के पिता स्व श्री मो. आलम खाता संख्या 15 में भूखंड नंबर 60, माप 0.016 हेक्टेयर, भूखंड नंबर 61 माप 0.076, भूखण्ड संख्या 107 माप 0.598 हेक्टेयर, भूखंड नं.108 माप 0.032 हेक्टेयर, भूखंड नंबर 109 की माप 0.049 हेक्टेयर और भूखंड नंबर 110 माप0. 648 हेक्टेयर, कुल माप 1.819 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 14 में भूखण्ड संख्या 103 माप 0.607 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 104 माप 0.525 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 106 माप 0.602 हेक्टेयर, कुल माप 1.734 हेक्टेयर एवं भूखंड संख्या 48 माप 0.025 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 55 माप 0.430 हेक्टेयर, भूखंड नंबर 56 माप 0.439 हेक्टेयर, भूखंड नंबर 57 माप 0.443 हेक्टेयर, भूखंड नंबर 58 माप 0.411 हेक्टेयर, भूखंड नं. 59, माप 0.657 हेक्टेयर है, भूखंड संख्या 60 माप 0.054 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 61 माप 0.171 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 62 माप 0. 082 हेक्टेयर, भूखंड संख्या 63 माप 0.183 हेक्टेयर, इस प्रकार उपरोक्त भूमि की कुल माप 6.448 हेक्टेयर है, जो कि ग्राम हरिपुर खास, परगना, भावर, छ खाता, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल में स्थित है, के खाता धारक दर्ज हैं। वादी के पिता का दिनांक 29.12.2001 को स्वर्गवास हो गया और वह अपने पीछे उनके छह बेटे (वादी सहित) और उनकी पत्नी छोड गये। वादी के पिता की मृत्यु हो जाने पर उनके विधिक उत्तराधिकारी वादग्रस्त संपति के स्वामी एवं भूमिधर हो गये और उनके नाम

राजस्व अभिलेखो में दर्ज हो गये थे। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया कि जब वह दिनांक 28.5.2008 को अपनी संपत्ति को देखने गया, तो प्रतिवादी आया और बोला कि वह सपूर्ण संपति को खाली कर दे क्योंकि वादी के पिता द्वारा दिनांक 26.04.2004 को उसके पक्ष में निष्पादित की गई थी। वादी द्वारा दावा किया गया कि वह वादग्रस्त संपति पर कब्जा है, प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि और उसको प्रतिषिद्व किया जाऐ कि वह वादी के शांति पूर्ण कब्जे मे कोई अवरोध उत्पन्न न करे।

3. प्रतिवादी ने वाद का विरोध किया और अपना लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि स्वर्गीय मो0 आलम ने दिनांक 26.04.2004 को प्रतिवादी के पक्ष में पंजीकृत वसीयत निष्पादित की थी और उस आधार पर प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया।

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 19.02.2010 को निम्नलिखित विवाद्यक स्थिर किये–

(i) क्या वादी वादग्रस्त्र सम्पत्ति पर काबिज है? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?

(ii) क्या वाद पत्र में दिए गए आधारों पर प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांकित 26.04.2004 शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किए जाने योग्य है?

(iii) क्या प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त्र सम्पत्ति पर हस्तक्षेप कारित किया गया है? यदि हां, इसका प्रभाव?

(iv) क्या वर्तमान वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है? यदि हाँ, तो यह प्रभाव?

(v) क्या अदा किया गया न्यायालय शुल्क अपर्याप्त है? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?

(vi) क्या वाद परिसीमा अवधि से बाधित है? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?

(vii) क्या वाद पक्षकारों के कुसंयोजन एवं असंयोजन से बाधित है? यदि हाँ, इसका प्रभाव?

(viii) क्या वाद विबंधन के सिद्धांत से वर्जित है? यदि हाँ, तो उसका प्रभाव?

(IX) क्या वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 41 से वर्जित है? यदि हाँ, तो प्रभाव?

(X) अनुतोष?

5. विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 4 एवं 5 को प्रारम्भिक विवाद्यकों के रूप में निर्णीत किया गया। विवाद्यक संख्या 5 वादी/अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत किया गया और यह अवधारित किया गया था कि अदा किया गया न्यायालय शुल्क पर्याप्त है।

6. विवाद्यक संख्या 4 स्थित किया गया था कि ''क्या वर्तमान वाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है? यदि हाँ, तो यह प्रभाव? प्रतिवादी/उत्तरादाता के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी और माननीय अपैक्स कोर्ट के विभिन्न निर्णयों को उद्धरित किया गया। प्रतिवादी द्वारा तर्क उठाया गया कि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और वह वर्तमान वाद के माध्यम से वादग्रस्त्र सम्पत्ति पर अपने अधिकार के सम्बन्ध में अनुतोष की याचना कर रहा है। उसने तर्क दिया कि वाद यू0पी0जेड0ए0 और एल0आर0 अधिनियम की धारा 331 द्वारा वर्जित है और राजस्व न्यायालय को ही वाद को निर्णीत करने की अधिकारिता है। उत्तर में वादी ने कथन किया कि वसीयत, जिसे वह शून्य और निष्प्रभावी घोषित कराना चाहता है, वह कपट से प्राप्त की गयी है क्योंकि मुस्लिम

विधि के अनुसार कोई मुसलमान अपनी 1/3 से अधिक संपत्ति का अपने परिवार की सहमति के अलावा किसी अनजान व्यक्ति को सम्पत्ति का व्यवयन नहीं कर सकता है।

7. विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली के परिशीलन के पश्चात् यह निष्कर्ष दिया कि विवाद कृषि भूमि से सम्बन्धित है एवं उस पर व्यक्तिगत विधि लागू नहीं होती है और उस पर यू0पी0जेड0ए0 और एल0आर0 अधिनियम लागू होगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वसीयत के आधार पर उत्तरदाता/प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया और याचिकाकर्ता के द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपने अधिकार की घोषणा की याचना की गयी है, जिसको केवल राजस्व न्यायालय के द्वारा ही दिया जा सकता है और सिविल न्यायालय को वाद को सुनने की क्षेत्राधिकारिता नहीं है। ऐसा करते समय, विचारण न्यायालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कमला प्रसाद बनाम कृष्णकांत पाठक, 2007 (4) एससीसी 213 पर भरोसा रखा, जिसमें यह अवधारित किया गया कि कृषि भूमि के संबंध में केवल राजस्व न्यायालय को घोषणा के लिए वाद को सुनने और तय करने की अधिकारिता है। चूंकि विचारण न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं था, आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 11.08.2011 द्वारा वादी का वाद उसी न्यायालय में दायर करने के लिए वापस कर दिया गया था।

8. सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/एफ.टी.सी. हल्द्वानी द्वारा मूल वाद संख्या 90/2008 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 11.08.2011 एवं 18.08.2011 से व्यथित होकर वादी द्वारा सिविल अपील संख्या 21/2011 माननीय जिला जज, नैनीताल के न्यायालय में संस्थित की गयी। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय और डिक्री दिनांकित 30.05.2012 के द्वारा वादी की अपील खारिज कर दी गयी। इसलिए यह दूसरी अपील की गयी।

9. द्वितीय अपील निम्नलिखित विधि के सारगर्भित प्रश्न पर स्वीकार की गयीः

"क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1951 की धारा 331 वाद संस्थित करने को वर्जित करती है?"

10. सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि–व्यवस्था अधिनियम, 1951 का वर्णन किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत हैः

331. इस अधिनियम के अधीन वादों आदि की अपेक्षा–(1) ऐसी दशा को छोड़कर, जिसके विषय में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई व्यवस्था की गयी हो, अनुसूची 2 के स्तम्भ 4 में उल्लिखित न्यायालय को छोड़कर कोई दूसरा न्यायालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित किसी वाद, प्रार्थना–पत्र या अन्य कार्यवाही को या ऐसे वाद हेतु पर आधारित वाद–पत्र या अन्य कार्यवाही की जिसके सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद या प्रार्थना–पत्र द्वारा कोई अनुतोष किया जा सकता था, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के रहते हुए भी अपेक्षा न करेगाः

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी खाते अथवा उसके भाग के सम्बन्ध में धारा 143 के अधीन प्रख्यापन कर दिया गया हो तो अध्याय 8 के अधीन वादों, प्रार्थना–पत्रों अथवा कार्यवाहियों से सम्बद्ध अनुसूची 2 के निदेश ऐसे खाते अथवा उसके भाग पर लागू नहीं

होंगे।

स्पष्टीकरण– यदि वाद हेतु ऐसा हो जिसके सम्बन्ध में माल न्यायालय द्वारा अनुतोष दिया जा सकता है तो यह बात सारवान नहीं कि सिविल न्यायालय से मांगा गया अनुतोष उस अनुतोष से ठीक समान न हो जिसे राजस्व न्यायालय ने दिया होता।

(1–क) उपधारा (1) में निहित किसी बात के होते हुए यह आपत्ति की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित न्यायालय अथवा सिविल न्यायालय ने जैसी भी स्थिति हो, जो वाद प्रार्थना–पत्र या कार्यवाही के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र नहीं रखता, उसके सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है; किसी अपीलीय या पुनरीक्षण करने वाले न्यायालय द्वारा ग्रहण न की जायेगी जब तक कि प्रारम्भिक न्यायालय ने सर्वप्रथम सम्भावित अवसर पर रखे विचारार्थ ग्रहण न किया हो तथा उन सभी मामलों में जहाँ वाद–पद ऐसे निपटारे पर या उसके पूर्व तय किये जा चुके है और जब तक न परिणामतः न्याय में असफलता प्राप्त हुई हौ।

(2) ऐसी दशा को छोड़कर, जिसके विषय में आगे व्यवस्था की गई है, पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 में उल्लिखित व्यवहारों में से किसी में दी गई किसी आज्ञा या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील न हो सकेगी।

(3) इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के स्तम्भ 4 में उल्लिखित किसी न्यायालय द्वारा उसके स्तम्भ 3 में उल्लिखित कार्यवाहियों में पारित किसी डिक्री या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 47 के अधीन किसी आदेश या धारा 104 या उस संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 में उल्लिखित प्रकार के किसी आदेश के विरूद्ध अपील उसके स्तम्भ 5 में उल्लिखित किसी न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष दायर की जा सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील में दी गयी अन्तिम आज्ञा या डिक्री के विरूद्ध दूसरी अपील अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित यदि कोई प्राधिकारी हो तो उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 में निर्दिष्ट किसी भी आधार पर की जा सकेगी।''

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कमला प्रसाद (सुप्रा) के वाद में यह अवधारित किया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अधिकारों की घोषणा का वाद सिविल न्यायालय में पोषणीय नहीं है। उक्त निर्णय के पैरा 13 से 17 में यह अवधारित किया गया है कि:

"13. दूसरे प्रश्न पर भी, हमारे विचार में, निचली अदालत द्वारा यह सही निष्कर्ष दिया गया है कि अधिकार अभिलेख में वैधता या अन्य तरीके से क्रेता का नाम जोड़ना और वादी का नाम ऐसे अधिकार अभिलेख से काटना केवल राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा सकता है क्योंकि क्रेताओं का नाम पूर्व में ही जोड़ा जा चुका है। केवल राजस्व न्यायालय ही यह निष्कर्ष दे सकता है कि उक्त कार्य विधि अनुसार किया गया है या नहीं और सिविल न्यायालय यह निर्णीत नहीं कर सकता।

'14. इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्त ने श्रीराम एवं अन्य बनाम प्रथम अपर जिला जज एवं अन्य (2001) 3 एस.सी.सी 24 के वाद पर सही बल दिया है। श्री राम के वाद में, A जो विक्रीत भूमि का मूल स्वामी था ने उसे पंजीकृत विक्रय विलेख के द्वारा B

को विक्रय कर दिया और कब्जा भी दे दिया और दाखिल खारिज के द्वारा क्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में भी दर्ज हो गया। वादी के अनुसार, विक्रय विलेख कपटपूर्ण था और निरस्त होने योग्य था। उक्त तथ्यों के प्रकाश में, इस न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल सिविल न्यायालय को ही उक्त वाद को सुनने, विचारण करने और निर्णय करने का अधिकार था। न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु पर सुसंगत न्याय–दृष्टांतों पर विचार करने के बाद अवधारित किया कि जहां राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमिधर के पास हक है एवं वह सम्पत्ति पर काबिज है, के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में विक्रय विलेख के निरस्तीकरण का वाद ला सकता है जबकि उक्त विक्रय विलेख कपट या प्रतिरूपण कर कराया गया है। उक्त वाद को घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को भेजा नहीं जा सकता। क्योंकि कारण यह है कि ऐसे मामलों में दर्ज भूमिधर के हक पर कोई संशय नहीं है। उसको भूमि पर हक की घ ोषणा कराने की आवश्यकता नहीं है।

15. न्यायालय ने, हालांकि, यह अवलोकन किया:

> ''स्थिति अलग होगी जहां व्यक्ति दर्ज भूमिधर नहीं है एवं वह कपट या प्रतिरूपण के आधार पर विक्रय विलेख के निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय में दायर करता है। वहां आवश्यक रूप से वादी को हक की घोषणा जरूरी होगी और इसलिए, उसको राजस्व न्यायालय में जाने के लिए निर्देशित किया जा सकेगा। जहां उसको घ ोषणा एवं कब्जे का अनुतोष देने के लिए विक्रय विलेख के शून्य होने को अनदेखा किया जा सकेगा।

16. वर्तमान मामला उपरोक्त निष्कर्ष द्वारा आच्छादित है। निचली अपीलीय अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों से काटा जाए एवं क्रेताओं का नाम जोड़ा जाए। उक्त तथ्य अभिलेख पर प्रतिवादीगण के द्वारा लाया गया और यह कथन किया गया कि वादी एक साक्षी के रूप में म्यूटेशन कोर्ट में प्रस्तुत हुआ था और उसके द्वारा विक्रय विलेख के निष्पादन, विक्रय प्रतिफल की प्राप्ति और कब्जा देने के तथ्य को स्वीकार किया गया था। यह भी कथन किया गया कि प्रतिवादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दाखिल एवं वादी का नाम खारिज हो गया था।

17. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, हमारी राय में, निचली न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह सही थे कि इस तरह के वाद केवल राजस्व न्यायालय ही सुन सकता है और सिविल न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा उन आदेशों को पलटने में विधि एवं अधिकारिता की त्रुटि की है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के योग्य है।

12. विधि के सारगर्भित प्रश्न का उत्तर: धारा 331 उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1951 की 331 के स्पष्टीकरण को पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा इस वाद में में मांगा गया अनुतोष अधिकारों की घोषणा के लिए है। चूंकि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है, इसलिए वादी द्वारा मांगा गया अनुतोष केवल राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मेरी राय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय–दृष्टांत कमला प्रसाद (सुप्रा) से दृढ़ होती है।

विचारण न्यायालय साथ ही साथ निचली अपीलीय न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वाद को केवल राजस्व न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और उनके द्वारा वादी के वाद को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार वापस किया गया है। निचली अदालतों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों एवं डिक्री में केवल अवैधता या दुर्बलता नहीं है। इसलिए कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। विधि का सारगर्भित प्रश्न वादी/अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

13. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, द्वितीय अपील में योग्यता का अभाव है और एतदद्वारा खारिज की जाती है। हर्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

(लोक पाल सिंह, जे.)

27.07.2017